न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश, बर, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनीषा शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत आवेदन पत्र संख्या – 94/2026

1. रामेश्वर उर्फ रामा पुत्र पेमाराम, उम्र 18 वर्ष, निवासी चौकीदारों का बास, मानाबारी रायपुर, पुलिस थाना रायपुर, जिला ब्यावर, राजस्थान।
2. प्रमोद पुत्र ओमप्रकाश, उम्र 19 वर्ष, निवासी चौकीदारों का बास, मानाबारी रायपुर, पुलिस थाना रायपुर, जिला ब्यावर, राजस्थान।

..... **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण**

विरूद्ध

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बर।

..... **अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 86/2026, पुलिस थाना – रायपुर,
अपराध अंतर्गत धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थिति –
1. श्री उदयराज पालडिया, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र बागड़ी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से उपस्थित।

।। आदेश ।।

दिनांक – 09.07.2026

(1) **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर, जिला ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दिनांक 04.07.2026 द्वारा खारिज होने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रकरण से संबंधित केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

(2) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि **दिनांक 06.05.2026** को **परिवादिया दुर्गा देवी** ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना रायपुर में इस आशय की पेश की कि दिनांक 19.04.2026 को शाम 07:00 बजे वह ग्राम हरिपुर में अपने मकान में गई तो देखा उसके उक्त मकान के चार कमरे के दरवाजे खुले हुए थे तथा ताले टूटे हुए थे। उक्त चारों कमरों का पूरा समान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसकी परिवादिया ने दिनांक 19.04.2026 को पुलिस थाना रायपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कुछ और भी सामान उनके घर से चोरों द्वारा चोरी किया गया। चांदी की 02 बगड़ी की जोड़ी, मोटरसाईकिल की आर.सी., गेहूँ के 05 नग, कपड़े, सोने का लॉकिट, छत का पंखा, कुक्कर, कुछ नकदी, थाली स्टील की 30 नग, दो चांदी की अगोटी, चांदी की बिछुडियां तथा घर का घरेलु सामान आदि भी चोरों ने चुरा लिया तथा सामान को बिखेर दिया, इत्यादि।

(3) दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में झूंठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण से किसी प्रकार की बरामदगी करना शेष नहीं है। प्रार्थीगण ने चोरी नहीं की है, उन्हें संदेह के आधार पर गलत गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थीगण अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया गया तो उनका परिवार अपना पालन–पोषण नहीं कर पायेगा। प्रकरण के आगामी अन्वेक्षण व विचारण में काफी लम्बा समय लगेगा। प्रार्थीगण के निवास स्थान पर चल व अचल सम्पत्ति स्थित है, जिससे प्रार्थीगण के भागने व फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है और ना ही गवाहान को डराने व धमकाने का कोई अंदेशा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय के आदेशानुसार अपनी मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जावे।

(4) विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता की ओर संकेत करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का प्रबल विरोध किया।

(5) उभयपक्ष को सुना गया, तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

(6) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में लंबित **आपराधिक प्रकरण** की सूची प्रस्तुत की, जो निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	पुलिस थाना	धारा	नतीजा
	– शून्य –			

(7) प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर परिवादिया के रिहायशी मकान में घुसकर सोने–चांदी के जेवरात, कपड़े, नकदी व घरेलु सामान आदि चुराये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण पर आरोपित आरोप, मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण का दिनांक 28.06.2026 को गिरफ्तार होकर अभिरक्षा में होना दर्शित है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त है।

–:: आदेश ::–

(8) परिणामतः **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 01. रामेश्वर उर्फ रामा पुत्र पेमाराम,** उम्र 18 वर्ष, **02. प्रमोद पुत्र ओमप्रकाश,** उम्र 19 वर्ष, निवासीगण चौकीदारों का बास, मानाबारी रायपुर, पुलिस थाना रायपुर, जिला ब्यावर, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत **जमानत** का **प्रार्थना पत्र** अंतर्गत **धारा 483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, **स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रुपये का मुचलका व 25,000–25,000/– रुपये की राशि की दो सुदृढ़ प्रतिभूति, इस शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें कि वे आईन्दा प्रत्येक तारीख पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेंगे, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे, बशर्ते उनकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो।

(मनीषा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर

(9) आदेश आज **दिनांक 09.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(मनीषा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, बर,
जिला ब्यावर

MANISH GOYAL
Stenographer Grade-II and "Authenticate Document" Digitally signed by MANISH GOYAL
Date: 2026.07.09 17:11:06 +0530